न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी श्री नवनीत कुमार, आई. ए. एस.

राजस्व अपील/225/रा.का.अधि./192/2022/बाड़मेर

अपीलांट	बनाम	रेस्पोडेंटगण
1. महेन्द्रसिंह पुत्र ठाकराराम, जाति जाट, निवासी बावड़ी कला, तहसील चौहटन, जिला बाड़मेर।		1. दुर्गाराम पुत्र चेतनराम, जाति जाट, निवासी बावड़ी कला, तहसील चौहटन, जिला बाड़मेर 2. श्रीमान तहसीलदार चौहटन, जिला बाड़मेर।

अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 विरूद्व उपखण्ड अधिकारी, चौहटन द्वारा राजस्व आवेदन संख्या 130/2022 बउनवान दुर्गाराम बनाम महेन्द्रसिंह वगैरह में पारित आदेश दिनांक 22.12.2022 के विरूद्ध पेश हुई ।

उपस्थितः—

1. वकील श्री सुरेश चौधरी अपीलान्ट की ओर से।
2. वकील श्री उगराराम सहारण रेस्पो. संख्या 01 की ओर से।
3. शेष रेस्पोडेन्ट्स बावजूद सूचना अनुपस्थित।

—:निर्णयः—

दिनांकः—06.08.2025

अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं कि प्रार्थी/रेस्पो. संख्या 01 जो कि मौजा गुमानपुरा तहसील चौहटन के खसरा संख्या 1204/85 के खातेदार हैं उक्त प्रार्थी द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 251 ए के अन्तर्गत एक आवेदन अपने खेत खसरा संख्या 1204/85 में आवागमन हेतु अपीलांट/विप्रार्थी संख्या 01 के खसरा संख्या 712/110 में से होकर रास्ता प्रदान करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया। जिस पर अधीनस्थ न्यायालय में अपीलांट/विप्रार्थी द्वारा जरिये वकील उपस्थित होकर एक प्रार्थना—पत्र अन्तर्गत आदेश 141 सपठित आदेश 7 नियम 11 सी.पी.सी. का पेश किया, जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा बहस सुनकर दिनांक 22.12.2022 को निरस्त कर उसी दिन दिनांक 22.12.2022 को मूल अपीलाधीन निर्णय पारित कर दिया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन

(नवनीत कुमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

आदेश विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का पालन किये बिना पारित किया गया, जिसके विरूद्ध हस्तगत अपील पेश की जा रही है।

पत्रावली दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेंट को जरिये सम्मन तलब किया गया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली को तलब किया गया। उपस्थित दोनों विद्वान अधिवक्ताओं की पत्रावली पर बहस सुनी गई।

वकील अपीलांट ने अपनी बहस में निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय में प्रार्थी/रेस्पो. संख्या 01 जो कि मौजा गुमानपुरा तहसील चौहटन के खसरा संख्या 1204/85 के खातेदार हैं उक्त प्रार्थी द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 251 ए के अन्तर्गत एक आवेदन अपने खेत खसरा संख्या 1204/85 में आवागमन हेतु अपीलांट/विप्रार्थी संख्या 01 के खसरा संख्या 712/110 में से होकर रास्ता प्रदान करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया। जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है, जो विधि विरूद्ध है। क्योंकि अधीनस्थ न्यायालय में तलबी बाद अपीलांट/विप्रार्थी द्वारा जरिये वकील उपस्थित होकर एक प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत आदेश 141 सपठित आदेश 7 नियम 11 सी.पी.सी. का पेश किया, जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा बहस सुनकर दिनांक 22.12.2022 को निरस्त कर उसी दिन दिनांक 22.12.2022 को मूल अपीलाधीन निर्णय पारित कर दिया। अपीलांट को जवाब पेश करने के बाद बहस हेतु अवसर नहीं दिया गया तथा आनन फानन में समस्त कार्यवाही एक ही दिन में पूर्ण कर प्रकरण का अंतिम रूप से निस्तारण कर दिया जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के विपरीत है। अपीलांट को प्रश्नगत प्रार्थना–पत्र खारिज करने के आदेश के विरूद्ध अपील पेश करने तक का अवसर नहीं देकर अपीलांट के हितों पर भारी कुठाराघात किया गया है। जिससे न्याय की मंशा के विरूद्ध पारित किया गया है। साथ ही अधीनस्थ न्यायालय द्वारा एकतरफा मौका रिपोर्ट तहसीलदार, चौहटन से तलब कर दी गई जिस पर तहसीलदार स्वयं ने मौके पर न जाकर आर. आई. व हल्का पटवारी को मौका रिपोर्ट हेतु आदेशित किया गया जबकि तहसीलदार को मौका कमिश्नर नियुक्त किया गया था। किन्तु तहसीलदार के आदेश अनुसार आर.आई. व हल्का पटवारी ने मौके पर जाये बिना ही अपने कार्यालय में बैठकर रेस्पो. संख्या 01 को गलत रूप से लाभ पहुचाने के लिए रेस्पो. के सहुलियत अनुसार मौका रिपोर्ट तैयार कर बिना अपीलांट को सूचित किये ही एकतरफा तैयार कर अधीनस्थ न्यायालय में पेश कर अपीलांधीन आदेश पारित करवा लिया। उक्त प्रश्नगत मौका रिपोर्ट पर अपीलांट के हस्ताक्षर या अगुठा निशान नहीं है मौका रिपोर्ट पर केवल रेस्पोडेन्ट व उसके परिवार के व रेस्पोडेन्ट के चहेते व्यक्तियों के ही हस्ताक्षर हैं। उक्त एकतरफा रूप से तैयार की गई मौका रिपोर्ट को आधार बनाकर अपीलाधीन

(नवनीत कुमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

आदेश पारित किया गया है जो विधि सगंत नहीं है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 251–ए के अनुसार पूर्व से प्रयोग में लिये जा रहे कदीमी रास्ते को ही स्वीकृत किया जाकर राजस्व रेकर्ड में इन्द्राज किया जाना था परन्तु रेस्पोडेन्ट संख्या 01 द्वारा जिस स्थल पर रास्ता प्रस्तावित बताया गया है वहां पर पहले से कोई रास्ता ही नहीं है। परन्तु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आंखे मूंदकर गलत रूप से अपीलाधीन आदेश पारित करते हुए रास्ता स्वीकृत कर दिया है जो कि कानूनी रूप से भारी भूल है। स्वीकृत रास्ता 20 फीट चोड़ाई का है जबकि इससे पूर्व में समर्पित रास्ता केवल 12 फीट चौड़ा है। अपीलाधीन आवेदन में प्रार्थी/रेस्पोडेन्ट संख्या 01 द्वारा चाहे गये रास्ते को स्वीकृत नहीं करते हुए किसी अन्य जगह से रास्ता स्वीकृत कर दिया गया है। जो विधि विरूद्ध है। इस आधार पर अपीलांट के खेत में से रास्ते का आदेश करना कानून सार्थक नहीं है। साथ ही हस्तगत प्रकरण में वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध होते हुए भी केवल मात्र अपीलांट के प्रति दुर्भावना से उक्त कथनों से परे जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के विरूद्ध जाकर पारित किया गया जो प्राकृतिक न्याय सिद्धांत के खिलाफ है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय निरस्त फरमाया जावे।

रेस्पोडेंट के अधिवक्ता ने बहस करते हुए निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट के नाम जारी सम्मन पर अपीलांट की पर्याप्त तामील करवाई गई। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश मजमे आम में उभयपक्ष की बहस सुनने के पश्चात पारित किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जो मौका रिपोर्ट मंगवाई गई उसके आधार पर रेस्पोंडेण्टस/प्रार्थी के खातेदारी भूमि में आने–जाने के लिए इस रास्ते के अलावा कोई निकटतम वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध नहीं है। अपीलांटस द्वारा अपनी अपील में बताये रास्ते के विकल्प प्रस्तावित रास्ते से कहीं अधिक दूरी के हैं। इसलिए रेस्पोडेंट को उक्त प्रस्तावित रास्ते की अत्यंत आवश्यकता है। रास्ता रेस्पोडेंट/प्रार्थी की मूलभूत आवश्यकता है जिसका प्रावधान राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 251– ए में किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को सुनवाई का समुचित अवसर दिया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का पालन करते हुए पारित किया गया। अपीलांट द्वारा हस्तगत अपील पेश कर प्रकरण को अनावश्यक लंबा किया जा रहा है। अतः अपीलांट की अपील खारिज कर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय को यथावत रखा जावे।

(निशांत कुमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश में मौका रिपोर्ट हेतु अपने आदेश दिनांक 01.12.2022 द्वारा तहसीलदार, चौहटन को मौका कमिशनर नियुक्त कर स्वयं को मौके पर उपस्थित होकर मौका रिपोर्ट बनाने का आदेश प्रदान किया गया था। जिस पर हस्तगत प्रकरण की मौका रिपोर्ट में तहसीलदार स्वयं द्वारा नहीं बनाकर संबंधित आर.आई. एवं हल्का पटवारी द्वारा तैयार करवाई गई है। साथ ही हस्तगत प्रकरण में संलग्न दस्वावेजों के अवलोकन से वैकल्पिक रास्ते के बारे में कहीं पर कोई स्पष्ट अंकन नहीं होने से वैकल्पिक रास्ते का विकल्प है या नहीं का स्पष्ट अंकन किये बिना ही अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है। उक्त कथनों को नजरअंदाज करते हुए प्रस्तावित मार्ग का आदेश पारित किया गया है। रेस्पोडेंटस/प्रार्थी को रास्ते की आत्यंतिक आवश्यकता है लेकिन रास्ते के लिए अन्य पक्षकार के जीवन में दुविधा पैदा करना भी विधि सम्मत नहीं है। अपीलाधीन आदेश अधीनस्थ न्यायालय ने विधि के प्रावधानों को दृष्टिगत रखते हुए पारित नहीं किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का पालन किये बिना पारित किया गया जो न्यायोचित नहीं है। उपरोक्त विवेचन एवं तथ्यों के आलोक में अपीलांट की अपील रिमाण्ड करने योग्य ठहरती है।

लिहाजा अपील अपीलांट आंशिक स्वीकार की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, चौहटन द्वारा राजस्व आवेदन संख्या 130/2022 बउनवान दुर्गाराम बनाम महेन्द्रसिंह वगैरह में पारित आदेश दिनांक 22.12.2022 को अपास्त किया जाकर प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित की जाती है कि यथासंभव बाबत् कटाण/चलायमान रास्ते संबंधित वर्तमान मौका रिपोर्ट जरिये तहसीलदार, चौहटन स्वयं द्वारा तलब कर वास्तविक मौके अनुसार ही विधि सम्मत आदेश पारित करे तथा उभयपक्ष को सुनवाई का समुचित अवसर दिया जाकर, उभयपक्षकारान की उपस्थिति में मौका रिपोर्ट तैयार कर गुणावगुण पर आदेश पारित करे। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख मय निर्णय प्रति के लौटाया जावे।

6/8/2025

(नवनीत कुमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

(नवनीत कुमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

यह आदेश आज दिनांक 06.08.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

6/8/2025

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

(नवनीत कुमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर